

पत्रांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-03/2020/12/आठ/पं०रा०
बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
अपर सचिव

सेवा में,

उप सचिव-सह-
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 26/5/26

विषय : वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत "मुख्य शीर्ष-2015-निर्वाचन-उपमुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष-101-निर्वाचन आयोग-उपशीर्ष-0001-राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायती राज)" मद से कुल ₹3,43,64,970.00 (तीन करोड़ तैंतालीस लाख चौसठ हजार नौ सौ सत्तर रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु कुल ₹3,43,64,970.00 (तीन करोड़ तैंतालीस लाख चौसठ हजार नौ सौ सत्तर रुपये) मात्र की राशि निम्नरूपेण आवंटित की जाती है :-

क्र०	विषय शीर्ष	राशि रुपये में आवंटन हेतु प्रस्तावित राशि
1	2	3
1	0001.01.01 - वेतन	17554000.00
2	0001.01.03 - जीवन यापन भत्ता	13777210.00
3	0001.01.04 - मकान किराया भत्ता	2081690.00
4	0001.01.05 - परिवहन भत्ता	636500.00
5	0001.01.06 - चिकित्सा भत्ता	134000.00
6	0001.01.07 - अन्य भत्ता	181570.00
	कुल	34364970.00

तीन करोड़ तैंतालीस लाख चौसठ हजार नौ सौ सत्तर रुपये मात्र

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं पत्रांक 236 दिनांक 09.03.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।


3. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना होंगे। इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।
4. जिन मदों में सम्पादित कार्य अथवा आपूर्ति के विरुद्ध भुगतान नहीं किया जा सका हो, उसके भुगतान की कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर की जाये। आवश्यकतानुसार पूर्व में निर्गत स्वीकृत्यादेश के विरुद्ध प्रतिस्थानी आदेश निर्गत किया जाये।
5. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मी को ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
6. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
10. आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
11. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-03/2020 के पृष्ठ संख्या 192/टि० पर दिनांक 25.05.2020 को प्राप्त है।

12. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अपर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।


13. इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड संख्या 16-2015001010001 है।

14. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।


विश्वासभाजन


(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-03/2020/12/3710/पं०रा० पटना, दिनांक 26/5/26
प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सचिवालय कोषागार
पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-03/2020/12/3710/पं०रा० पटना, दिनांक 26/5/26
प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को
सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(नजर हुसैन)
अपर सचिव

